“ राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली “ पर नामान्तरण / दाखिल ख़ारिज हेतु "उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006" की "धारा 34" के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन की दिग्दर्शिका

सर्वप्रथम http://vaad.up.nic.in टाइप करके “ राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली “ के मुख्य पृष्ठ पर जाएँ |

↓

नामांतरण (दाखिल - ख़ारिज) हेतु "उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006" की "धारा 34" के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन के लिए क्लिक करें

↓

आवेदनकर्ता जिस मोबाइल नम्बर से आवेदन करना चाहता है उसे प्रविष्ट कर ओ० टी० पी० (वन टाइम पासवर्ड) प्राप्त करे ।

↓

आवेदनकर्ता प्राप्त “ ओ० टी० पी० (वन टाइम पासवर्ड) ” तथा प्रदर्शित कैप्चा प्रविष्ट करके “ लॉगिन करें ” बटन पर क्लिक करें

↓

निबन्धन कार्यालय एवम रजिस्ट्री के विवरण में " जनपद " " निबंधन कार्यालय " चुनकर " रजिस्ट्री संख्या " एवम " रजिस्ट्री दिनांक " प्रविष्ट कर " प्रदर्शित करें " बटन पर क्लिक करें।

↓

इस प्रकार आवेदक को उस विशेष रजिस्ट्री / बैनामा का सम्पूर्ण विवरण प्रदर्शित होने लगेगा।

↓

आवेदनकर्ता / प्राधिकृत व्यक्ति अपना सम्पूर्ण विवरण प्रविष्ट करके नामान्तरण / ख़ारिज दाखिल के लिए उदघोषणा करके " आवेदन सुरक्षित करें " बटन पर क्लिक करें

↓

इस प्रकार प्रस्तुत आवेदन सीधे तहसीलदार न्यायालय में स्वतः दर्ज़ हो जायेगा

↓

आवेदनकर्ता " कुल दर्ज़ आवेदन पत्र " विकल्प से किये गये आवेदन प्रिंट कर सकता है

↓

स्वतः दर्ज़ नामान्तरण / दाखिल ख़ारिज वाद को पीठासीन अधिकारी द्वारा नियमानुसार समयान्तर्गत वाद निस्तारित किया जायेगा